न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 19/2024 **दायर दिनांकः 17.10.2024**

उनवान

1. रामपाल मेघवाल आयु 69 वर्ष पुत्र ग्यारसीराम जाति मेघवाल निवासी खरखडा रामलोथान तहसील अटरू हाल मुकाम विनोबा भावे नगर कोटा जिला कोटा (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थित :—
प्रार्थिया :—विद्वान अभिभाषक श्री भीमराज नागर
अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

निर्णय **दिनाकः 26.05.2025**

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थी के शामलाती कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी ग्राम एवं माल खरखडा रामलोथान तहसील अटरू जिला बारां (राज.) में खाता संख्या 249 का खसरा नं. 614 का रकबा 0.13 है0 कुल किता 1 का रकबा 0.13 है0 आराजी में हिस्सा 1/4 दर्ज खाता चली आ रही है। नक़ल जमाबन्दी सम्वत 2073—2076 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो काबिले गौर है। इसी प्रकार वाके ग्राम एवं माल खरखडा रामलोथान तहसील अटरू में शामलाती कब्जे काश्त व स्वामित्व की आराजी खाता संख्या 247 की कुल किता 1 का रकबा 0.10 है0 हिस्सा 1/6 तथा खाता संख्या 248 की कुल किता 14 का रकबा 3.90 है0 हिस्सा 1/6 दर्ज खाता चली आ रही है। नक़ल जमाबन्दी सम्वत 2073—2076 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो काबिले गौर है। प्रार्थी का नाम प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में सहवन से रामपाल के स्थान पर रामलाल अंकित हो गया है जो कि गलत है। प्रार्थी का सही नाम रामपाल मेघवाल है जो कि उसके राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि दस्तावेजो में भी रामपाल मेघवाल नाम ही दर्ज है प्रार्थना पत्र की मद न. 2 में वर्णित आराजीयात में भी रामपाल ही दर्ज है तथा प्रार्थी के पिता का नाम ग्यारसीराम है जबकि

प्रार्थना पत्र की मद न. 1 व 2 में वर्णित आराजी में ग्यारसा दर्ज हो रहा है। उक्त समस्त दस्तावेज व सरपंच ग्राम पंचायत खरखडा रामलोथान पं.स. अटरू द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थी राजस्व कर्मचारीगणों द्वारा की गई त्रुटि को दुरुस्त करवा कर अपना नाम रामलाल पुत्र ग्यारसा के स्थान पर रामलाल उर्फ रामपाल पुत्र ग्यारसीराम दर्ज करवाने का अधिकारी है। अप्रार्थी के अधीनस्थ कर्मचारीगणों के द्वारा किये गए गफलत एवं लापरवाही पूर्वक कार्य से प्रार्थी का नाम रामलाल पुत्र ग्यारसा कर देने से प्रार्थी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जमाबन्दी एवं अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम भिन्न भिन्न होने से बैंक से कृषि ऋण व अन्य कृषि योजनाओं का लाभ आदि प्राप्त नहीं कर पा रहा है। प्रार्थी ने अप्रार्थी से नाम दुरुस्त करने का निवेदन किया तो उन्होंने माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने का निर्देश दिया। प्रार्थना पत्र पत्र की मद न. 1 व 2 में वर्णित भूमि में हो रही त्रुटि को प्रार्थी दुरुस्त करवा कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने के अधिकारी है, बिना सहायता न्यायालय राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त करवाया जाना संभव नहीं है, अस्तु माननीय न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से तथा प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार होने से उसे अप्रार्थी बनाया गया है। आराजी ग्राम/माल खरखडा रामलोथान तहसील अटरू जिला बारां में होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेंगे।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी आराजी ग्राम/माल खरखडा रामलोथान में खाता संख्या 249 के खसरा न. 614 का रकबा 0.13 है. कुल किता 1 का रकबा 0.13 है. आराजी हिस्सा 1/4 में प्रार्थी का नाम रामलाल के स्थान पर रामलाल उर्फ रामपाल मेघवाल दर्ज करने व प्रार्थना पत्र की मद न. 1 व 2 में वर्णित आराजी में ग्यारसा के स्थान पर ग्यारसीराम दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान किये जाने की कृपा करें ।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश नही करने पर जवाब प्रा0 पत्र बन्द किया गया। साक्ष्य प्रार्थी के तहत शपथ पत्र Pw1 रामपाल पुत्र गयारसीराम जाति मेघवाल Pw2 श्रवणलाल पुत्र ग्यारसीराम जाति मेघवाल निवासी खरखडा के शपथ पत्र पेश किए गए तथा अभिभाषक प्रार्थी की मौखिक बहस सूनी गई।

अभिभाषक प्रार्थी की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों– नकल जमाबन्दी ग्राम व माल खरखडारामलोथान सम्वत 2073–76 खाता संख्या 249, नकल जमाबन्दी ग्राम व माल खरखडारामलोथान सम्वत 2073–76 खाता संख्या 248, नकल जमाबन्दी ग्राम व माल खरखडारामलोथान सम्वत 2073–76 खाता संख्या 247, ग्राम पंचायत खरखडा रामलोथान प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र व शपथ पत्र गवाहान का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण तथा उपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन के आधार पर ग्राम एवं माल खरखडा रामलोथान तहसील अटरू जिला बारां (राज.) में खाता संख्या 249 का खसरा नं. 614 का रकबा 0.13 है0 कुल किता 1 का रकबा 0.13 है0 आराजी में सहखातेदार रामलाल पुत्र ग्यारस्या के स्थान पर रामपाल उर्फ रामलाल पुत्र ग्यारसीराम व ग्राम व माल खरखडा रामलोथान के खाता संख्या 248 कुल किता 14 का रकबा 3.90 है0 व ग्राम व माल खरखडा रामलोथान की खाता संख्या 247 कुल किता 1 का रकबा 0.10 है0 आराजी में सहखातेदार रामपाल पुत्र ग्यारस्या के स्थान पर रामपाल पुत्र ग्यारसीराम किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। ग्राम एवं माल खरखडा रामलोथान तहसील अटरू जिला बारां (राज.) में खाता संख्या 249 का खसरा नं. 614 का रकबा 0.13 है0 कुल किता 1 का रकबा 0.13 है0 आराजी में सहखातेदार रामलाल पुत्र ग्यारस्या के स्थान पर रामपाल उर्फ रामलाल पुत्र ग्यारसीराम व ग्राम व माल खरखडा रामलोथान के खाता संख्या 248 कुल किता 14 का रकबा 3.90 है0 व ग्राम व माल खरखडा रामलोथान की खाता संख्या 247 कुल किता 1 का रकबा 0.10 है0 आराजी में सहखातेदार रामपाल पुत्र ग्यारस्या के स्थान पर रामपाल पुत्र ग्यारसीराम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति शाखा प्रबन्धक बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कवाई को भी भिजवायी जावें। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

यह निर्णय आज दिनांक 26.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां